(c) whether Government have approved of this price-hike;

(d) whether Government managed paper mills also have raised the prices of its products; and

(e) what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) to (c). Although there is no statutory control on prices of paper, Government have been discouraging the Industry from resorting to unilateral increase in prices without adequate justification. However, certain mills (notably Orient Paper Mills and Titaghur Paper Mills) are reported to have issued revised price lists in January, 1978 in which prices of certain varieties of paper have been increased. Government's unhappiness on these price increases has been conveyed to the Paper Industry. At the same time, steps have been taken to increase the production of common varieties of writing and printing papers which is expected to ease the price situation. The question of further regulatory measures as well as the possibility of imports would be considered after studying the reaction of the Industry.

(d) and (e). The paper mills managed by the Hindustan Paper Corporation (a Government of India Undertaking) have not raised the prices of their products recently.

Permanent Commission in N.C.C.

5691. SHRI NARENDRA SINH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal for giving permanent commission in N.C.C. to the E.C.Os. released from the Army;

(b) if so, details thereof; and

(c) the number of such persons who are likely to be benefited?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). A proposal to grant permanent commission in the National Cadet Corps to such Ex-Emergency Commissioned Officers and other whole-time NCC officers who have a good record of service, is under consideration. However, details have yet to be finalised. It is therefore not possible at this stage to indicate the number of officers who might benefit from this proposal.

Extension of Kandla Port Trust upto Salaya

5692. SHRI VINODBHAI B. SHETH: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the limit of Kandla Port Trust which is a major port, is extended upto Salaya in Gujarat; and

(b) whether Government are thinking of giving any compensation to the Government of Gujarat in lieu of this extension?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) The extension of the limits of Major Port of Kandla so as to include a portion of the minor port of Salaya is under consideration in consultation with State Government.

(b) No, Sir.

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन

5693. श्री मंगा भक्त सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसकी प्रगति के लिए कतिपय समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए समितियों का गठन किस आधार पर किया गया है; और

(ग) मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं जो अनुलग्नक पर देखे जा सकते हैं ।

(ग) 18 जनवरी 1968 के भाषा संकल्प के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा की प्रगति का लेखा जोखा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है जिसमें प्रगति का ब्यौरा रहता है ।

विवरण

हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

सदस्य संख्या :—वैसे कोई निश्चित सदस्य-संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय को अपने कार्य के स्वरूप और क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या निश्चित करनी होगी । सामान्यत: किसी भी समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिएं, क्योंकि एक तो इससे विचार-विमर्श में सुविधा होगी और दूसरे, यात्रा और दैनिक भत्तों पर भी अधिक व्यय नहीं होगा ।

2. वर्गवार विभाजन :—

(क) **सरकारी सदस्य** :— जाहिर है कि मंत्रालय के मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे । राज्य मंत्री, उपमंत्री सचिव, अपर सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे । साथ ही संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष, महानिदेशक, निदेशक, महा-प्रबंधक, प्रबंधक आदि को भी, जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य देख रहे हैं, समिति का पदेन सदस्य रखा जाये । (यदि मंत्री जी चाहें तो वे राज्य मंत्री/उप मंत्री को समिति का उपाध्यक्ष नामित कर दें, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वे बैठक की अध्यक्षता कर सकें) । राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सभी समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे । राजभाषा विभाग का एक अन्य प्रतिनिधि भी सभी समितियों में अवश्य रखा जाना चाहिये ।

(ख) **गैर सरकारी सदस्य** :—ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य नामित करना चाहिए जिन्हें हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास में विशेष रुचि हो और जो संबंधित मंत्रालय के कार्यकलाप की अच्छी जानकारी रखते हों ।

समिति के सदस्यों को चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये :—

(1) संसद् सदस्यों की संख्या :—समिति में सामान्यतया संसद् के 6 सदस्य हों—4 लोक सभा से और 2 राज्य सभा से ।

(2) अन्य गैर सरकारी सदस्य :—मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं से भी एक या दो प्रतिनिधि रखे जाने चाहिये :—

(1) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ

(2) नागरी प्रचारिणी सभा

(3) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा

(4) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।

यदि केन्द्रीय सचिवालय हिन्

परिषद् को भी प्रतिनिधित्व देना हो, तो उसके अध्यक्ष को ही नामित किया जाये।

जहां तक हो, दिल्ली के बाहर के सदस्यों की संख्या कम ही रखी जाए ताकि यात्रा और दैनिक भत्तों में मितव्ययिता बरती जा सके। जब कभी राजभाषा विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी खास वर्ग या क्षेत्र को किसी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह उस समिति में अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है।

3. राजभाषा विभाग से परामर्श :— केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी सलाहकार समितियों के गठन के बारे में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार से राय लेना अनिवार्य है। अब एक नया राजभाषा विभाग बन गया है। इस विभाग के सचिव, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार भी हैं। इसलिये अब समितियों के गठन के बारे में राजभाषा विभाग से ही पूर्व परामर्श काफी होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि परामर्श संबंधित मंत्री के अंतिम आदेश लेने के पहले किया जाये।

4. समिति का कार्यक्षेत्र :— विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का काम केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी काम काज के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और अपने संलायों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है। यदि इन मंत्रालयों से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समितियां राजभाषा नीति के संबंध में कोई बुनियादी परिवर्तन सुझाती हैं तो मंत्रालय को चाहिये कि वे राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना उन पर अमल न करें।

Missing Children

5694. SHRI S. S. LAL: Will the Minister be please to state:

(a) whether it is a fact that the number of missing children in the country and particularly in the capital is on the increase causing panic among the public;

(b) if so, the steps being taken or proposed to be taken by the Government to do away with such illegal activities of undesirable elements in the country; and

(c) the number of cases where children below 10 years were kidnapped and recovered during the past six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Officers in the Jat Regiment of Indian Army

5695. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of officers in the Jat Regiment of Indian Army; and,

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) 434

(b) Scheduled Castes	Scheduled Tribes
2	—

Clearance of Power Projects in Punjab

5696. SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that long outstanding and already given consent to, various power projects in Punjab are not getting final clearance from the Centre: